रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 1978/वैशाख 30, 1900
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1978/VAISAKHA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

सा०का०नि० 626.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के पठित धारा 555 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनियों का परिसमापन खाता नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का कंपनी का परिसमापन खाता (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी का परिसमापन खाता नियम, 1965 के नियम, 9 के उपनियम (7) में "सात सौ पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

[फाइल संख्या 5/6/77-सी एल-5]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 15th May, 1978

G.S.R. 626.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 555, read with sub-section (1) of section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company's Liquidation Account Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Company's Liquidation Account (Second Amendment) Rules 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (7) of rule 9 of the Company's Liquidation Account Rules, 1965, for the words "seven hundred and fifty rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

[File No. 5/6/77-C. L. V.]

सा०का०नि० 627.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त

(ख) उप-नियम (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तर्पाशित सम्मुख कांटों (इन्टर लाक्ड फेसिंग प्वाइंट्स) पर गाड़ी ऐसी गति से चल सकेगी, जो अन्तर्पाशन के मानक (स्टैंडर्ड आफ इन्टरलाकिंग) द्वारा अनुमत हो।"

[सं० 77/संरक्षा (दु० तथा नि०)/29/10(69)
ई० जे० सिमोएस, सदस्य यातायात एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 3rd May, 1978

G.S.R. 658.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Open Lines (Railways in India) General Rules, 1929, namely :—

1. (1) These rules, may be called the Open Lines (Railways in India) General (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Open Lines (Railways in India) General Rules, 1929, in Part I, for clauses (a) and (b) of rule 90, the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(a) The speed of trains over non-interlocked facing points shall not exceed 15 kilometres an hour in any circumstances, and the speed over turnouts and cross-overs shall not exceed 15 kilometres an hour unless otherwise prescribed by approved special instructions, which may permit a higher speed.

(b) Subject to the provision of sub-rule (a), a train may run over interlocked facing points at such speed as may be permitted by the standard of interlocking."

[No. 77/Safety(A&R)/29/10(69)]
E. J. SIMOES, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 1978

सा० का० नि० 659.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उच्च नियम कहा गया है) के नियम 14 के उपनियम (3) में उच्च श्रेणी ग्रेड शीर्षक के नीचे खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु चयन सूची में सम्मिलित ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारणों से, जो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, उस श्रेणी में किसी समय नियुक्त किए जाने से इंकार करता है, तत्पश्चात् किसी समय उस श्रेणी में उसकी नियुक्ति पर, उस व्यक्ति से जिसे चयन सूची से उस श्रेणी में अन्त में नियुक्त किया गया है, ठीक पीछे रखा जाएगा"

3. उक्त नियम की अनुसूची में पैरा 3 के उप पैरा (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु चयन सूची में सम्मिलित ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे कारणों से, जो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य हो, उस श्रेणी में किसी समय नियुक्त किए जाने से इंकार करता है, तत्पश्चात् किसी समय उस श्रेणी में उसकी नियुक्ति पर, उस व्यक्ति से, जिसे चयन सूची से उस श्रेणी में अन्त में नियुक्त किया गया गया है, ठीक पीछे रखा जाएगा।"

[सं० ई० 67-ओ०जी० 1/9/आर०बी०2(आर० बी० डी०)]
एस० के० रामनाथन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th May, 1978

G.S.R. 659.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Board Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (3) of rule 14 of the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), under the heading "Upper Division Grade", to sub-clause (b) of clause (ii), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that a person included in the Select List who refuses at any time to be appointed to the Grade for reasons acceptable to the appoiating authority, shall, on his appointment to the Grade at any time thereafter, be placed immediately after the person who was last appointed to that Grade from the Select List."

3. In the Schedule to the said rules, in paragraph 3, to sub-paragraph (2), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that an officer included in the Select List who refuses at any time to be appointed to the Grade for reasons acceptable to the appointing authority, shall, on his appointment to the Grade at any time thereafter, be placed immediately after the officer who was last appointed to that Grade from the Select List."

[No. E-67OG1/9/RB2(RBD)]
S. K. RAMANATHAN, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

सा० का० नि० 660.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (समूह 'क' पद) भर्ती नियमावली, 1963 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों को आकाशवाणी (समूह 'क' पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'क' पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सम्मुख कालम 12 में प्रविष्टियों के बाद, टिप्पणी (1) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) (2) और (3) में उल्लिखित अधिकारियों से चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले इण्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इंटरव्यू बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(1) समूह 'क' के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

(1) सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य

(3) आकाशवाणी महानिदेशक सदस्य

(4) दूरदर्शन महानिदेशक सदस्य

(2) इतनी संख्या में स्वतंत्र विशेषज्ञ (दो से कम नहीं) जितनी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित की जाए सदस्य"

[संख्या 12018/(5)/76-बी(ए)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 5th May, 1978

G.S.R. 660.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 30 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963 against serial No. 1, in Column 12, after the entries, for note (1), the following note shall be substituted, namely :—

"(i) Selection from officers mentioned at (ii) and (iii) shall be made through interview to be conducted by the Union Public Service Commission Interview Board shall consist of :—

(1) Members of D.P.C. for Group 'A'

(i) Member, U.P.S.C. ..Chairman.

(ii) Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of I & B. ..Member.

(iii) Director General, All India Radio ..Member.

(iv) Director General, Doordarshan. ...Member.

(2) Such number of independent experts (not less than two) as may be determined by Union Public Service Commission. ..Members"

[No. 12018/(5)/76-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 मई, 1978

सा०का०नि० 661.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक तार निदेशालय (कनिष्ठ विश्लेषक) संशोधन नियमावली 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक तार निदेशालय कनिष्ठ विश्लेषक नियमावली 1978 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक तार निदेशालय (कनिष्ठ विश्लेषक) भर्ती नियमावली, 1979 में अनुसूची क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ विश्लेषक	5	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' राजपत्रित गैर-कार्मिक	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-12-1200 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता